प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है

एवं काबिज काश्त है, अतः प्रथम दृष्टया

मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के

पक्ष में है; यदि ~~विव~~ वाद के अंतिम

निस्तारण से पूर्व अप्रार्थीगण कोई नवीन

निर्माण करते है अथवा विक्रय, रहन आदि

या कोई दखल अंदाजी करते है तो प्रार्थी

को अपूर्णीय क्षति कारित होने की पूर्ण

संभावना है।

अप्रार्थीगण का यह उज्र है कि

एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार को

प्रतिबंध पाबंद नहीं किया जा सकता।

हम पाते है कि वाद बहुलता को

रोकने एवं वाद की विषयवस्तु को

यथावत (Intact) बनाए रखने के लिए

ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति

विवादित भूमि पर रखी जानी आवश्यक है।

ताफैसला वाद विवादित भूमि पर

मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु

उभय पक्षों को पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसला मुताबिक हाकिम

को कब्ल से बन्द हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)